22

संख्या–1653/XVIII-(2)/2015-08(17)/2014

प्रेषक,

प्रदीप कुमार शुक्ल,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
चमोली।

आपदा प्रबन्धन अनुभाग–1, देहरादूनः दिनांक 01 जुलाई, 2015

विषयः– **जनपदों में स्थापित डी0एस0पी0टी0 फोनों के बिलों के भुगतान हेतु धनराशि आवंटित किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–1658/तेरह/आ0प्र0प्रा0/2015–16, दिनांक 02 मई, 2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जनपद में विभिन्न स्थानों में स्थापित किये गये डी0एस0पी0टी0 फोनों के बिलों के भुगतान हेतु धनराशि आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–2059/XVIII-(2)/2015-04(14)/2015, दिनांक 11.06.2015 द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि मद के अन्तर्गत जनपद को ₹ 1.00 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गयी है। अतः जनपद में स्थापित 05 D.S.P.T. फोन के बिलों का भुगतान उक्त ₹ 1.00 करोड़ में से किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। शासनादेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(प्रदीप कुमार शुक्ल)
अनु सचिव

संख्या–1653(1)/XVIII-(2)/2015-08(17)/2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी) ओबैराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2– प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4– अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5– वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, जनपद चमोली।
6– बजट अधिकारी, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय उत्तराखण्ड।
7– निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
8– **जिलाधिकारी, पिथौरागढ़/उत्तरकाशी/रूद्रप्रयाग/बागेश्वर** को इस निदेश सहित प्रेषित कि यदि आपके जनपद में स्थापित डी0एस0पी0टी0 फोनों के बिलों के भुगतान के सम्बन्ध में कोई मागं/धनराशि की आवश्यकता है तो कृपया तत्सम्बन्ध में सुस्पष्ट प्रस्ताव शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9– वित्त अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
10– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रदीप कुमार शुक्ल)